यह निरीक्षण प्रतिवेदन **कार्यालय राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, (महिला) देहरादून** द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर तैयार किया गया है। कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उपलब्ध करायी गयी किसी त्रुटिपूर्ण अथवा अधूरी सूचना के लिए कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

कार्यालय राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, (महिला) देहरादून के माह 03.2012 से 08.2018 तक के लेखा-अभिलेखों की लेखापरीक्षा पर आधारित निरीक्षण प्रतिवेदन श्री पवन कुमार, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी, तथा श्री मुन्ना राम, लेखापरीक्षक द्वारा दिनांक 06.09.2018 से 11.09.2018 तक श्री पुष्कर, वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी के पूर्ण पर्यवेक्षण में सम्पादित की गयी।

भाग-।

1). परिचयात्मकः इकाई को आहरण वितरण अधिकार प्रदान प्राप्त होने के पश्चात प्रथम लेखापरीक्षा है। वर्तमान लेखापरीक्षा में माह 03/2012 से 08/2018 तक के लेखा अभिलेखों की जांच की गयी।

2). (i). इकाई के क्रियाकलाप एवं भौगोलिक अधिकार क्षेत्रः संस्थान द्वारा विभिन्न रोजगारपरक व्यवसायो जैसे स्वीनिंग टेक्नोलोजी, इंब्रायदारी ड्राफ्टमेन सिविल, आशुलिपिक हिन्दी, आदि मे प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है। इकाई के भौगोलिक अधिकार क्षेत्र मे देहरादून क्षेत्र शामिल है।

ii). (अ). विगत वर्षों में बजट आबंटन एवं व्यय की स्थिति निम्नवत हैः

(रु लाख में)

क्रम संख्या	वितीय वर्ष	प्रारम्भिक अवशेष		स्थापना		गैर स्थापना		आधिक्य (+)	बचत (-)
		स्थापना	गैर-स्थापना	आवंटन	व्यय	आवंटन	व्यय		
1	2012-13	0.00	0.00	131.50	123.40	2.27	1.26		9.11
2	2013-14	0.00	0.00	155.55	154.75	6.38	6.11	-	1.07
3	2014-15	0.00	0.00	193.43	188.44	6.99	6.86	-	5.12
4	2015-16	0.00	0.00	145.08	145.08	12.54	12.54	-	0.00
5	2016-17	0.00	0.00	191.61	168.61	35.38	34.65	-	23.73
6	2017-18	0.00	0.00	200.98	198.57	27.64	24.07	-	5.98
7	2018-19	0.00	0.00	138.93	71.92	67.01	22.58	-	-

(ब). Autonomous Bodies की इकाइयों के विगत तीन वर्षो में बजट आवंटन एवं व्यय की स्थिति निम्नवत हैं:

लागू नही

(स). केन्द्र पुरोनिधानित योजनाओं के अन्तर्गत प्राप्त निधि एवं व्यय विवरण निम्नवत हैः

(रु लाख में)

वर्ष	योजना का नाम	प्रारम्भिक आवशेष	वर्ष के दौरान प्राप्ति (आवंटन)	विविध प्राप्तियाँ (ब्याज आदि)	कुल प्राप्ति	व्यय	आधिक्य (+)	बचत (-)
2014-15	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
2015-16	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
2016-17	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
2017-18	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
2018-19	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य

iii). इकाई को बजट आवंटन राज्य योजना अनुदान संख्या 16 के अंतर्गत, निदेशालय प्रशिक्षण एवं सेवायोजन, हल्द्वानी द्वारा किया जाता है। गैर-स्थापना व्यय को सम्मिलित न करते हुए इकाई 'C' श्रेणी की है। विभाग का संगठनात्मक ढांचा निम्नवत हैः-

a). प्रमुख सचिव, प्रशिक्षण एवं सेवायोजन , उत्तराखंड, देहरादून

b). निदेशक, प्रशिक्षण, हल्द्वानी

c). अपर निदेशक, प्रशिक्षण, हल्द्वानी

d). उप निदेशक, प्रशिक्षण, हल्द्वानी

e). प्रधानाचार्य, राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, महिला, देहरादून

iv). लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र एवं लेखापरीक्षा विधिः वर्तमान लेखापरीक्षा 03.2012 से 08.2018 तक की अवधि को आच्छादित करते हुए **कार्यालय राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, (महिला) देहरादून** के लेखा-अभिलेखों की नमूना जांच के आधार पर की गयी । यह निरीक्षण प्रतिवेदन **कार्यालय राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, (महिला) देहरादून** की लेखापरीक्षा में पाये गये निष्कर्षों पर आधारित है। माह 06.2018, 03.2017 एवं 03.2018 को विस्तृत जांच हेतु चयनित किया गया । प्रतिचयन अधिकतम व्यय के आधार पर किया गया।

v). लेखापरीक्षा भारत के संविधान के अनुच्छेद- 149 के अधीन बनाये गये नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां तथा सेवा की शर्ते) अधिनियम, 1971 (डी.पी.सी. एक्ट, 1971) की धारा 13; लेखा तथा लेखापरीक्षा विनियम, 2007 तथा लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार सम्पादित की गयी।

भाग-II 'ब'

प्रस्तर:1- काशनमनी (प्रतिभूति धनराशि) रु 98,367/- का विगत वर्षो से अक्रियाशील पाया जाना।

काशनमनी वह प्रतिभूति धनराशि है, जो संस्थान मे प्रवेश के समय समस्त प्रशिक्षार्थियों को प्रशिक्षण शुल्क के अतिरिक्त रु 50.00 प्रतिभूति धनराशि (काशनमनी) के रूप मे जमा की जाती है, जो प्रशिक्षण की संतोषजनक समाप्ति पर सरकारी देय, यदि कोई हो, की कटौती के बाद काशनमनी की राशि वापस की जाती है। शासनादेश संख्या 5125/15-11-86-4ए/45/85, दिनांक 10 जुलाई 1986 के अनुसार यदि कोई छात्र महाविद्यालय छोडने के 03 वर्ष पश्चात तक अपनी काशनॉमनी वापस लेने का आवेदन पत्र नही देता है तो यह राशि व्ययगत (लेप्स) कर दी जाएगी तथा संबन्धित काशनमनी को छात्र हेतु छात्र कल्याणकारी कार्यो पर व्यय किया जाना अनुमन्य किया गया है।

कार्यालय **प्रधानाचार्य, राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान (महिला) देहारादून** के काशनमनी संबन्धित अभिलेखो की जांच मे पाया गया कि विगत वर्षो मे छात्रों से ली जाने वाली काशनमनी बैंक खाता संख्या 32951728496 मे रु 98,367/- अंतिम-शेष कई वर्षो से छात्रों द्वारा वापस नही ली गयी है जिस कारण उक्त धनराशि खातो मे अवरुद्द पड़ी हुई है। आगे जांच मे तथ्य प्रकाशित हुआ कि सत्र 2015-16 तक काशनमनी का अंतिम अवशेष रु 31,229/- पाया गया था तथा शेष धनराशि संस्थान को ब्याज के रूप मे अर्जित हुई पायी गयी। अतः काशनमनी की धनराशि व्यपगत हो जाने के बावजूद छात्रकल्याणकारी कार्यो मे व्यय न कर खातो मे निष्क्रिय पड़ी हुई पायी गयी।

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर विभाग द्वारा तथ्यो एवं आकड़ों की पुष्टि करते हुए अपने उत्तर मे बताया है प्रशिक्षाथियों द्वारा जमा काशनमनी हेतु आवेदन न करने के कारण खातो मे पड़ी हुई है जिसे छात्र हित हेतु शीघ्र ही प्रस्ताव प्रस्तुत कर अग्रेतर कार्यवाही की जाएगी।

उत्तर संतोषजनक नही पाया गया क्योकि शासनादेश के अनुसार उक्त धनराशि का उपयोग छात्र हित हेतु किया जाना चाहिए था जबकि संबन्धित धनराशि निष्क्रिय रूप मे खातो मे रखकर अवरुद्द किया गया।

अतः प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान मे लाया जाता है।

भाग-III

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का विवरण:-

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	**भाग-II 'अ' प्रस्तर संख्या**	**भाग-II 'ब' प्रस्तर संख्या**	**STAN**
------------प्रथम लेखापरीक्षा---------------			

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों की अनुपालन आख्याः

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	**प्रस्तर संख्या लेखापरीक्षा प्रेक्षण**			**अनुपालन आख्या**	**लेखापरीक्षा दल की टिप्पणी**	**अभियुक्ति**
	भाग-II 'अ' प्रस्तर संख्या	**भाग-II 'ब' प्रस्तर संख्या**	**STAN**			
------------प्रथम लेखापरीक्षा---------------						

<u>भाग-IV</u>

इकाई के सर्वोत्तम कार्य

.... शून्य ....

भाग-V

आभार

1). कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून, लेखापरीक्षा अवधि में अवस्थापना संबंधी सहयोग सहित मांगे गये अभिलेख एवं सूचनांए उपलब्ध कराने हेतु **कार्यालय राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, (महिला) देहरादून** तथा उनके अधिकारियों एवं कर्मचारियों का आभार व्यक्त करता है तथापि लेखापरीक्षा में निम्नलिखित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गयेः-

अप्रस्तुत अभिलेख: शून्य

2). सतत् अनियमितताएः शून्य

3). लेखापरीक्षा अवधि में निम्नलिखित अधिकारियों द्वारा कार्यालयाध्यक्ष का कार्यभार वहन किया गया :

नाम	पदनाम	अवधि
श्री मनमोहन कुड़ियाल	प्रधानाचार्य रा॰ औ॰ प्र॰ स॰ (महिला) देहारादून	लेखापरीक्षा अवधि 03/2012 से 24.10.2017 तक
श्री दिनकर रौतेला	प्रधानाचार्य रा॰ औ॰ प्र॰ स॰ (महिला) देहारादून	25.10.2017 से वर्तमान तक

लघु एवं प्रक्रियात्मक अनियमितताएं जिनका समाधान लेखापरीक्षा स्थल पर नहीं हो सका, उन्हें नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी में सम्मिलित कर एक प्रति **कार्यालय राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान (महिला) देहरादून** को इस आशय से प्रेषित कर दी गयी, जिसकी प्राप्ति के एक माह के अन्दर अनुपालन आख्या सीधे "उप-महालेखाकार/ सामाजिक क्षेत्र, कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखंड, महालेखाकार भवन, कौलागढ़, देहरादून 248195 " को प्रेषित कर दी जाये।

वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी/सा.क्षे.